



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(केंद्र कंट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या : CCU – 60/ 2023

श्री तरुण कान्त (जन्मतिथि- 16.08.1972), अधीक्षक, ग्रुप-बी (राजपत्रित), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग – ई, जयपुर के द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत नोटिस दिनांक 01.11.2023 को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 43 के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं उन्हें दिनांक 01.02.2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान की जाती है।

Signed by

Chetan Kumar Jain

Date: 19-12-2023 13:05:24
(चेतन कुमार जैन)

प्रधान आयुक्त

फा.स. GCCO/II/3/RTR/5/2020/

दिनांक : .12.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. अपर आयुक्त (का.एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को उनके कार्यालय के पत्र फा.सं.: ET-I/VRS/GR-B/27/2021-ADMN दिनांक 23.11.2023 के सन्दर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री तरुण कान्त, अधीक्षक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता यथा विभागीय परिचय पत्र, ऋण अथवा विभागीय हथियार एवं सतर्कता / असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात श्री तरुण कान्त, अधीक्षक को कार्यभारमुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
2. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, अलवर/उदयपुर/जोधपुर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स, जयपुर/अपील्स, जोधपुर/सीमा शुल्क, जोधपुर (मु. जयपुर)।
3. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग – ई, जयपुर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर।
6. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी प्रति- श्री तरुण कान्त, अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग – ई, जयपुर।
8. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।